

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक (मा0वि0) को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वसित केरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री / श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10 / 20 / 30 / वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम / द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे / पे-लेवल
1	आनन्द कुमार शर्मा, राउमावि ओसवाल जैन, जिला अजमेर	से.नि. प्रधानाचार्य	31/12/1957	06-09-1983	30 YE AR	05-09-2013	06-09-2013	6800
2	असरार हुसैन, रामावि ढाणी चारण कालियासर, तहसील अलसीसर, जिला झुझुनू	से.नि. प्रधानाध्यापक	01-01-1961	02-07-1990	30 YE AR	01-07-2020	02-07-2020	L-15
3	अशोक कुमार सोमवंशी, राउमावि चौरु(फागी) जिला जयपुर	से.नि. प्रधानाचार्य	16/10/1953	28/1/1983	30 YE AR	27/1/2013	28/1/2013	6600
4	मोहनलाल गुर्जर, राउमावि बर जिला पाली	से.नि. प्रधानाचार्य	10-07-1960	05-07-1997	20 YE AR	04-07-2017	05-07-2017	L-17
5	मूल सिंह, रामावि बड़बाव, अन्दरकोट जिला अजमेर	से.नि. प्रधानाध्यापक	01-08-1960	02-07-1990	30 YE AR	01-07-2020	02-07-2020	L-15

— ६ —

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पदस्थान स्थान सर्वश्रेष्ठ/श्रेष्ठ	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल	
6	लक्ष्मीनारायण मीणा, रामाचि जलसोना, तहसिल दूर्गा, जिला टोक	सं.नि प्रधानाध्यापक	20/8/1960	17/10/1984	30 YE AR	16/10/2014	17/10/2014	6000

नोट : -

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

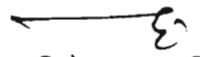
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3/एसीपी/2020/

दिनांक : 5/11/2021

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय-माध्यमिक शिक्षा
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित संस्था प्रधान प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
4. संबंधित अधिकारी
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर